संख्या:311/2016/1270/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकरी
इटावा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 19 सितम्बर,2016

विषय : वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा में पेयजल से संबंधित 30 कार्यों की शासनादेश संख्या-84/2016/377/35-4-2016 दिनांक 10 मार्च,2016 के द्वारा रू. 777.51 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 155.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या: 169/2016/701/35-4-2016 दिनॉक 02 मई,2016 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू.311.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई। इस प्रकार उक्त कार्य हेतु कुल मिलाकर रू. 466.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी, इटावा के पत्र संख्या: 618/ दिनांक 14 जुलाई,2016 द्वारा उक्त शासनादेशों के माध्यम से पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा निम्नांकित विवरण के अनुसार स्वीकृत 30 कार्यों हेतु प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में कुल अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय रू. 311.01 लाख (रूपये तीन करोड़ ग्यारह लाख एक हजार मात्र) की धनराशि को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

	कार्य	अनुमोदित लागत	प्रथम/द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	कुंजपुरा एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	14.49	8.69	5.80
2	परसौआ एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	13.70	8.22	5.48
3	अजनौरा एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	16.94	10.17	6.77
4	भीखनपुर एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	8.66	5.19	3.47
5	सराय भूपत एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	32.65	19.59	13.06
6	कुरसेना एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	36.41	21.84	14.57
7	धौलपुर खेड़ा एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	8.33	5.00	3.33
8	ककरई एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	36.15	21.69	14.46
9	कुकावली एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	20.64	12.39	8.25

http://grasanaanesh.up.nic.in

	कार्य	अनुमोदित लागत	प्रथम/द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
10	भाली एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली, जलाशय राईजिंगमेन एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	23.09	13.85	9.24
11	भुजपुरा एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली, जलाशय राईजिंगमेन एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	21.24	12.74	8.50
12	बंधा एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली, जलाशय राईजिंगमेन एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	38.05	22.83	15.22
13	वियारी भटपुरा एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	13.73	8.24	5.49
14	लरखौर एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	15.36	9.21	6.15
15	खरदूली एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	18.66	11.19	7.47
16	रामेत एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	17.99	10.80	7.19
17	चकूपुर एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	19.46	11.67	7.79
18	अमरसीपुर भाऊपुर एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली, जलाशय राईजिंगमेन एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	33.21	19.92	13.29
19	उझियानी एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली, जलाशय राईजिंगमेन एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	44.06	26.44	17.62
20	भदेई काशीपुर एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	24.55	14.73	9.82
21	परासना एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली, जलाशय राईजिंगमेन एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	39.59	23.76	15.83
22	हरदोई एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	22.49	13.50	8.99
23	जाफरपुर एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली, जलाशय राईजिंगमेन एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	36.45	21.87	14.58
24	बीना एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली, जलाशय राईजिंगमेन एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	36.49	21.90	14.59
25	सुल्तानपुर राहिन एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	13.08	7.85	5.23
26	खेड़ा हेलू एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली, जलाशय राईजिंगमेन एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	37.84	22.71	15.13
27	मसनाई एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	14.99	8.99	6.00

http://srsanadesh.up.nic.in

	कार्य	अनुमोदित लागत	प्रथम/द्वितीय किश्त में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
28	मंजू एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली, जलाशय राईजिंगमेन एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	56.30	33.78	22.52
29	अगूपुर एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	31.26	18.75	12.51
30	मोहनपुर राहिन एकल ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के वितरण प्रणाली, जलाशय राईजिंगमेन एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण	31.65	18.99	12.66
	योग	**777.51**	**466.50**	**311.01**

1- सन्दर्भित शासनदेश दिनांक 10 मार्च, 2016 व दिनांक 02 मई, 2016 की शर्ते यथावत रहेंगी।

2- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

4- इस शासनादेश से उक्त कार्यों के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2017 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2017 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2017 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2017 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

7- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्षक-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-जलपूर्ति कार्यक्रमों के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shrasanadesh.up.nic.in

संख्या:311/2016/1270(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास/नगर विकास/कृषि विपणन ।
4-प्रमुख सचिव, वित्त।
5-निजी सचिव, मा.मुख्य मंत्री जी ।
6-मण्डलायुक्त, कानपुर।
7-मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
8-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9-वरिष्ठ कोषाधिकारी, इटावा।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, इटावा।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in